न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार RAS

राजस्व अपील संख्या –4/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.जैपाराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी वासनी झूठा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01 दमाराम पुत्र चैनाराम 02.सरपच ग्राम पंचायत सरेचा 03.चुकी पुत्री चैनाराम जाति जाट निवासी वासनी झूठा तहसील लूणी जिला जोधपुर (परफोरमा पाटी)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 203, ग्राम सरेचा , तहसील– लुणी, जोधपुर द्वारा दिनांक 07.02.2007 को पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – ईश्वरसिह चम्पावत।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की और से अधिवक्ता तेजाराम चौधरी।

:: आदेश ::

दिनांक : 12/12/2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 203 दिनांक 07.02.2007 ग्राम पचायत सरेचा तहसील लुणी, जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा बासनी झूठा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे स्थित खसरा सख्या 32 के खातेदार रताराम की मृत्यु होने के बाद फौतदगी का म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट सख्या 01 दमाराम ने फर्जी पुत्र बनकर अपना नाम म्यूटेशन स्वीकृत करवा दिया जबकि रताराम ना औलाद फौत हुआ था उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस व सुनवाई का मौका नही दिया अपीलान्ट हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत रताराम की खातेदारी भूमि उसका हिस्सा बनता है। इस कारण अकेले रेस्पोडेन्ट सख्या 01 दमाराम के नाम रताराम का फौतगी का म्यूटेशन स्वीकृत नही किया जा सकता है। इस कारण ऐसा आदेश वाईड एण्ड एब इन इश्यू माना जायेगां ऐसा आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है ऐसा आदेश पर किसी भी म्याद का बिन्दु लागू नही होता है इस कारण नामान्तरकरण सख्या 203 जो दिनांक 07.02.2007 को संरपच ग्राम पंचायत सरेचा द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसे निरस्त करने हेतु उक्त अपील पेश की गई हैं।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये रेस्पोडेन्ट सख्या 01 की ओर से अधिवक्ता तेजाराम चौधरी ने वकालातानाम व धारा 5 म्याद अधिनियम का जबाव पेश किया रेस्पोडेन्ट सख्या 03 का समन तामिल सुदा प्राप्त हुआ। प्रकरण मे उपस्थित उभय पक्षकारान् अधिवक्ता की धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस सुनी गई धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.07.2022 को स्वीकार किया गया तत्पश्चात अपील पर अन्तिम बहस सुनी गई अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस मे यह निवेदन किया कि नामान्तरकरण सख्या 203 खातेदार रताराम के फौत होने पर तारीख 07.02.2007 को स्वीकृत किया गया है उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया है जिसमे अपीलान्ट को

उपखण्ड अधिकारी,

कोई नोटिस व सुनवाई का मौका नही दिया गया है खातेदार रताराम ना औलाद फौत हुए ही उनके कोई वारिशान नही है लेकिन रेस्पोडेन्ट सख्या 01 दमाराम ने रताराम का फर्जी पुत्र बनकर उक्त म्यूटेशन स्वीकृत करवाया है जो कानूनन विधि विरूद्व है खातेदार रताराम ने अपनी जिवित अवस्था मे दमाराम को कोई गोद नही लिया है रेस्पोडेन्ट सख्या 01 दमाराम फर्जी पुत्र बनकर रताराम का फोतगी म्यूटेशन सख्या 203 स्वीकृत करवाया है जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सख्या 01 दमाराम ने अपने पिता चैनाराम की खातेदारी भूमि मे अपना नाम खातेदारी दर्ज करवाई है अपीलान्ट ने अपील के साथ जमाबन्दी सवत 2074–2077 की पेश की जिसमे रेस्पोडेन्ट सख्या 01 दमाराम पुत्र चैनाराम 1/9 हिस्से खातेदार है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सख्या 01 दमाराम ने दोनो तरफ खातेदारी प्राप्त की है रताराम का पुत्र बनकर भी व अपने पिता चैनाराम के हिस्से से भी खातेदारी प्राप्त की है दोनो तरफ रेस्पोडेन्ट सख्या 01 खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है इस कारण नामान्तरकरण सख्या 203 रताराम का फौतगी म्यूटेशन भरा गया है उसको निरस्त किया जावे अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेन्ट सख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस मे यह निवेदन किया है कि नामान्तरकरण सख्या 203 खातेदार रताराम फौत होने पर स्वीकृत किया गया है उक्त नामान्तरकरण विधि अनुरूप भरा गया जो सही है रेस्पोडेन्ट सख्या 01 दमाराम खातेदार रताराम का गोद पुत्र है इस कारण उनके नाम से म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है जो कानूनन सही है अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया एव दोनो अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम बासनी झूठा तहसील लूणी के खातेदार रताराम फौत होने पर नामान्तरकरण सख्याँ 203 दमाराम पुत्र रताराम कौम जाट खातेदार के नाम स्वीकृत हुआ है जो विधि सम्मत दायर होना प्रतीत होता है चूकि अपीलान्ट द्वारा श्री दमाराम के रताराम का गोद पुत्र होने सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि रताराम के फौत होने पर नामान्तरकरण सख्याँ 203 जो स्वीकृत किया गया जो विधि सम्मत एव न्यायोचित है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा आदेश कमाँक 03/2008 दिनांक 11.02.2008 से स्पष्ट होता है दमाराम रतनाराम का पुत्र है तथा आपसी सहमती से अपीलाण्ट एव रेस्पोडेन्ट के मध्य बटवाडा उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण से प्राप्त भूमि किया।

अत: अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(गोपाल परिहार)RAS,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner